

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	विशेष
	25.4.24 No. 101/24 25/4/24	<p>पत्रावली भेजा हुआ। वकील प्राणी के उपस्थित हैं। वकील प्राणी के प्रकरण को आगे नहीं चलाने का रुझान हर नोट प्रेस किया है।            नोट: वकील प्राणी द्वारा नोट प्रेस लिखे जाने के धारा 14 दरफेरी एक्ट के अर्थात् पत्र को नसीलर पर खारिज किया जाता है।            पत्रावली नखर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> <sup>वेक</sup>              जिला मजिस्ट्रेट              (कलक्टर) जयपुर           </p>	